भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 185973

वरिष्ठ कोषाधिकारी 19 MAY 2015 गाजीपुर

62/2015 IV

न्यास विलेख

मनवासा देवी एजूकेशनल फाउण्डेशन, प्रोफेसर कालोनी, लंका, गाजीपुर।

यह कि न्यास विलेख आज दिनांक- 10-06-2015 को गाजीपुर में श्रीमती एकता राय पत्नी श्री अखण्ड प्रताप राय निवासी- मकान नं0-19 प्रोसेफर कालोनी, लंका, जिला- गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया, जिन्हे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक रू0- 5000/- की राशि जिसे वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान में देने की इच्छा करती है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्याय बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संचालित, जनहित एवं समाज हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक उच्च चिकित्सा, व्यवसायकि आदि क्षेत्र मे विशेष रूप से कार्य करेगा। यह ट्रस्ट **मनवासा देवी एजूकेशनल फाउण्डेशन** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा, क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके। न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0- 5000/- (पाँच हजार रूपया) की नकद राशि प्रदान की है क्योंकि

Ekta Rai

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 258195

वर्तमान में इस रू0- 5000/- (पाँच हजार रूपया) की राशि का पंजीकृत कार्यालय- मकान नं0-19, प्रोफेसर कालोनी लंका, शहर व जनपद- गाजीपुर (उ0प्र0) से संचालित होगे एवं अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष/संस्थापक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार से धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

मनवासा देवी एजूकेशनल फाउण्डेशन

(भारतीय न्यास 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम- 1882 के समस्त धारायें/नियम/उपनियम लागू होगा। इस न्यास के संचालन हेतु आवश्यक है जो न्याय विभाग में व्यवहृत व मान्य है।

उद्देश्य की नियमावली-

1- **ट्रस्ट के उद्देश्य-**

ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा। बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिये प्राथमिक पाठशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत कराना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 236411

2- ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।

3- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।

4- कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नमी का संरक्षण करना।

5- उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना।

6- महिला विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

7- प्रतियोगात्मक परीक्षाओ की तैयारी हेतु संस्थाओ की स्थापना करना।

8- कृषि सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसको विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9- केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन समान कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्य का संचालन कना।

10- आई0टी0आई0, आई0आई0टी0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजो व ब्लड बैंको की स्थापना करना एवं संचालन करना। सी0बी0एस0सी0/आई0सी0एस0सी0 व यू0पी0 व सभी प्रकार के बोर्डो से सम्बद्ध कर शिक्षा प्रदान करना।

11- समाज के लोगों के लिये हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।

Ekta Rai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 236412

12- पुस्तकालय, वाचनालय पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रक, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13- अन्धे-गूंगे-बहरे असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

14- विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम तथा व्यावहारिक प्रयोगिक कला वाणिज्य वैज्ञानिक क्रीडा मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीक, सामाजिक, आधुनिक भाषा उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान का प्रबन्ध करना।

15- विभिन्न प्रतियोगिताओ एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनका अध्ययन अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

16- साहित्यिक पुस्तको, पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन व सम्पादन।

17- सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताए, बैठकें विशेष कक्षाए सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजन कर सकना।

18- सिलाई, कढाई, बुनाई स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

19- व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों मेडिकल कालेजों इंजीनियरिंग कालेजों को ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 236413

21- विधि संबंधी उपयोगी सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

22- आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार-प्रसार करना।

23- कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व इसका प्रचार तथा प्रसार कर सकना।

24- पर्यावरण को सुधार करने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिये जानकारी देना एवं सेमिनार करना।

25- एड्स के बारें में जन जागरण हेतु प्रचार-प्रसार करना।

26- पुस्तक/पुस्तिकाएँ समाचार पत्र आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित एवं विक्रय करना।

27- ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।

28- पत्राचार द्वारा अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना।

29- उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार हेतु कार्य कर सकना।

30- धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकना।

31- जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।

32- विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वितीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

33- विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, व्यावसायिक कालेजो एवं प्रतिष्ठानो के विशेष अधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

Ekta Rai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 236414

34- ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना। विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट उद्देश्यों में प्रयोग करना।

35- ट्रस्ट जनसामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासंभव अपनी उत्पादित वस्तु नागत मूल्य पर देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सडक खडंजा तालाबों का नि गकर मत्स्य पालन आदि का प्रचार-प्रसार करना।

36- ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्र कल्याणकारी योजनाओं का क्रि यन करेगा।

37- ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय करेगा।

38- किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु कृषि पालिटेक्निक का निर्माण करना।

39- किसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।

40- फल संरक्षण अचार मुरब्बा, औषधि खेती की जानकारी देना एवं उत्थान किये माल का आयात निर्यात करना।

2- प्रारम्भिक उपबन्ध

1- वर्तमान में ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के पंजीकरण के दिनांक से श्रीम एकता राय को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

3- मैनजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण-

1- मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराि ारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

Ektarai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AW 236416

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। में कि अधिकतम 11 (ग्यारह) सदस्य होगें।

2- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी को ट्रस्टीज मनोनित करते समय उसका काल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर नि करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बै बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।

4- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी उन्ही विषय पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जि की मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को स्वीकार कर थवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा। जिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5- **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएँ-**

1- यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित में

Ekta Rai

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 700164

2- यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्तें सुविधायें कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/ यक्ष निश्चित कर सकेगा।

3- यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के इच्छा तक कार्य करेगें। जंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें उक्त पदों पर रित व्यक्ति के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर स है अथवा उक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को प्र कर सकता है।

9- **उपाध्यक्ष की नियुक्ति-**

1- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यो का देखभाल करने के लि एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पडने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की क्ति कर सकेगा।

2- यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएँ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्य द्वारा निश्चित किये जायेगें।

3- यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष के इच्छा तक कार्य करेगे। टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के रुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्य को

Ekta Rai

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

76AC 654978

3- सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14- बैक एकाउन्ट-

1- ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी ध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।

2- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, थान केन्द्र, कार्यक्रम इकाई, कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या सं लित किया जा सकता है। इस स्थिति में ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा या अधिकृत व्यक्ति द्वारा खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

15- विधिक कार्यवाही-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या इसके विरु कोई कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्य नयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

16- सम्पत्ति संबंधित-

1- ट्रस्ट चल अचल सम्पति के संबंध में सभी अधिकार रखता है जो कि एक न क/ व्यक्ति को प्राप्त होता है।

Ekta Rai

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 76AC 654980

18- विशेष-

1- इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/त क्रम इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम ब जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट मनवासा देवी एजूकेशनल फा शन के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करता है वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगे।

2- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो किसी परिस्थितियो में इस ट्रस्ट व कसी प्राविधानों को शिथिल कर सकता है तथा कोई भी निर्णय ले सकता है। इस र व में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस धारा के अन्तर्गत मैनेजि स्टी /अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस धारा के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्य द्वारा की गयी किसी कार्यवाही/निर्णय को कही भी, किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। मनवासा देवी एजूकेशनल फाउण्डेशन उक्त न्यास विलेख एवं में सन्निहित उद्देश्यो एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित कृत आत्मार्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है।

Ekta Rai